28/2/22	[illegible] पेश हुई । पेशकार [illegible] [illegible] [illegible] (पं.स. [illegible]) [illegible] खाता सं. 211 की सहखातेदार [illegible] पुत्र [illegible] के स्थान पर नाम [illegible] पर [illegible] आत्मज [illegible] पुत्र [illegible] को खातेदार घोषित करना है। विज्ञप्ति [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] । मुताबिक [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] करने हेतु [illegible] । [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] दिनांक 28/2/22 को [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.03.08 15:50:07 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर, जयपुर शहर (प्रथम), जयपुर

पीठासीन अधिकारीः श्रीमंती अरशदीप बराड़(आर.ए.एस.)
राजस्व वाद संख्या : 22/2018

पप्पूराम चौधरी उर्फ आशीष चौधरी पुत्र कालूराम चौधरी लालरपुरा तहसील व जिला जयपुर राज0

––वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील व जिला जयपुर।

.....प्रतिवादी

वाद बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
निर्णय

दिनांकः–28/2/2022

वादी अधिवक्ता द्वारा दिनांक 09.08.2018 को दावा बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया गया जिसका सार निम्न प्रकार है :
ग्राम सारंग का बास, गिरदावर सर्किल कालवाड, तहसील जयपुर में वादी की कृषि भूमि स्थित है जिसके खसरा नं0 175/2 रकबा 7 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नं0 176/2 रकबा 7 बीघा 9 बिस्वा है जिसमें वादी का हिस्सा 1/15 है इसी प्रकार ग्राम कंवर का वास में खसरा नं0 206 रकबा 9 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नं0 208/12 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नं0 210/6 रकबा 19 बीघा 1 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 33 बीघा 12 बिस्वा है जिसमें भी वादी का हिस्सा 1/15 है इसी प्रकार ग्राम कंवर का वास में खसरा नं0 211 रकबा 12 बीघा 6 बिस्वा है जिसमें वादी का हिस्सा 1/120 है। वादी ने उक्त समस्त भूमियां जरिये रजिस्टर्ड 18.11.99 द्वारा क्रय किया था वादी का नाम समस्त सरकारी कागजों में पप्पूराम है जबकि वादी को घर में आशीष के नाम से पुकारा जाता है बरवक्त विक्रय पत्र वादी का नाम विक्रय पत्र में पप्पूराम की जगह आशीष दर्ज करवा दिया था जिसके कारण राजस्व रिकार्ड में भी वादी का नाम पप्पूराम के स्थान पर आशीष दर्ज हो गया। विक्रय पत्र दिनांक 18.11.99 में क्रेताओं की फोटो लगी हुई है जिसमें वादी की भी फोटो लगी है तथा वादी के समस्त सरकारी दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, वोटर आई.डी., ड्राइविंग लाइसेन्स, राशन कार्ड आदि में भी वादी की फोटो लगी हुई है जो सब एक समान है अर्थात् आशीष नाम का अन्य कोई भी व्यक्ति नहीं है बल्कि वादी को ही दोनों नामों से जाना जाता है। अतः निवेदन किया कि दावा बहक विरूद्ध प्रतिवादी घोषणा व [illegible] जाकर वादी को वादग्रस्त आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित करते [illegible] वाद[illegible] आराजी में वादी के दर्ज नाम आशीष के स्थान पर पप्पूराम [illegible] रिकार्ड में इंद्राज दुरूस्ती की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.03.08 15:30:07 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर सभी पक्षकारान को [illegible]मील पूर्ण करवायी गयी। बाद तामील तहसीलदार जयपुर को तथ्यात्मक रिपोर्ट भेजने हेतु लिखा गया। दिनांक 16.02.2022 को तहसीलदार रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसका सार निम्नानुसार हैः–
(1.) ग्राम कंवर का वास के खाता सं0 157 खसरा नं0 206 रकबा 2.440 हैक्टे0, खसरा नं0 208/12 रकबा 1.2393 हैक्टे0, खसरा नं0 210/6 रकबा 4.8183 हैक्टे0 कुल किता

अरशदीप बरार (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

3 कुल रकबा 8.4984 हैक्टे0, ग्राम सारंग का बास के खसरा नं0 175/2 रकबा 1.7831 हैक्टे0, खसरा नं0 176/2 रकबा 1.8717 हैक्टे0 में प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कैम्प दुर्जनियांवास में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत आशीष पुत्र कालूराम के स्थान पर पप्पूराम उर्फ आशीष पुत्र कालूराम के आदेश श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी जयपुर शहर प्रथम से आदेश प्राप्त हुये है। जो श्रीमान् तहसीलदार जयपुर साहब जयपुर के आदेश कमांक एलआर/5234 दिनांक 31.12.2021 की पालना में नामान्तकरण किया जाता है।

(2.) ग्राम कंवर के वास स्थित खसरा नं0 211 रकबा 3.1110 हैक्टे0 में जो दावा में शामिल है का निर्णय शेष है।

हमनें पत्रावली व प्रस्तुत रिपोर्ट का मनन किया। इस वाद का मुख्य विचारणीय बिंदु यह था कि क्या आशीष व पप्पू चौधरी एक ही व्यक्ति है?

इस बाबत वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, वोटर आई.डी., ड्राइविंग लाइसेन्स, राशन कार्ड देखा गया जिसमें उसका नाम पप्पूराम चौधरी पुत्र श्री कालूराम दर्ज है व विक्रय पत्र जिसमें उसका नाम आशीष पुत्र कालूराम दर्ज है। तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार वादी द्वारा अपने नाम की दुरूस्ती तीन खसरा नम्बरान ग्राम सारंग का बास स्थित खसरा न0 175/2 व 176/2 व ग्राम कंवर का वास स्थित खसरा नं0 206, 208/12, 210/6 व 211 में चाही थी जिसमें धारा 136 के तहत ग्राम सारंग का बास स्थित खसरा नं0 206, 208/12, 210/6 कुल किता 03 कुल रकबा 8.9484 हैक्टे0 व खसरा नं0 211 रकबा 3.1110 हैक्टे0 तथा ग्राम कंवर का वास स्थित खसरा नं0 175/2 रकबा 1.7831 हैक्टे0 व खसरा नं0 176/2 रकबा 1.8717 हैक्टे0 में दुरूस्ती कर दी गई थी व खसरा नं0 211 कंवर का वास शेष है। इस आदेश की प्रति का भी मनन किया गया।

अतः उक्त प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर **यह न्यायालय ग्राम कंवर का वास स्थित खसरा नं0 211 के सहखातेदार आशीष पुत्र कालूराम के स्थान पर नाम दुरूस्ती कर पप्पूराम उर्फ आशीष पुत्र कालूराम को खातेदार घोषित करता है व तहसीलदार जयपुर को आदेशित किया जाता है कि उक्त आदेश अनुसार दुरूस्ती कर न्यायालय को सूचित करे। मुताबिक निर्णय अंतिम डिक्री जारी हो।** पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 28/02/22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.03.08 15:50:07 IST
Reason: SelfAttested

(अरशदीप बराड़)
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत **सहायक कलक्टर जयपुर शहर (प्रथम)** मुकाम **जयपुर** ब इजलास **श्रीमती अरशदीप बराड़ (आर.ए.एस.)**

पप्पूराम चौधरी उर्फ आशीष चौधरी पुत्र कालूराम चौधरी लालरपुरा तहसील व जिला जयपुर राज0

––वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील व जिला जयपुर।

.....प्रतिवादी

वाद बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मुकदमा नम्बर – दावा 22/2018

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्रीमती अरशदीप बराड व हाजिरी वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि **ग्राम कंवर का वास स्थित खसरा नं0 211 के सहखातेदार आशीष पुत्र कालूराम के स्थान पर नाम दुरूस्ती कर पप्पूराम उर्फ आशीष पुत्र कालूराम को खातेदार घोषित करता है व तहसीलदार जयपुर को आदेशित किया जाता है कि उक्त आदेश अनुसार दुरूस्ती कर न्यायालय को सूचित करे।**

इस आशय की डिक्री जारी की जाती है।

निज .... मुबलिग .... बाबत् ....

.... खर्चा इस मुकद्दमें में मय सूद बशरह .... फीसदी

सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .... का

अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख .... जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.03.08 15:50:07 IST
Reason: SelfAttested

मुहर

दस्तखत अरशदीप बराड़ (आर.ए.एस.)

ओहदा सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	00	00	स्टाम्प अर्जी दावा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	00	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प वजह सबूत	00	00	महन्ताना वकील	00	00
महन्ताना वकील	00	00	खर्चा गवाहान	00	00
खर्चा गवाहान	00	00	फीस कमिश्नर	00	00
फीस कमिश्नर	00	00	बाबत इजराय	00	00
बाबत् इजराय	00	00	हुक्मनामा	00	00
हुक्मनामा	00	00	मुतफरिक	00	00
मुतफरिक	00	00		00	00
मीजान	00	00	मीजान	00	00

अरशदीप बराड़ (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

Signature Not Verified

Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.03.08 15:50:07 IST
Reason: SelfAttested